UPSP040245662026

न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0 (महिलाओं के विरूद्ध अपराध), सहारनपुर।

सरकार **बनाम** **खालिद आदि।**

मु.अ. सं0-17/2025
धारा-85,115(2),352,351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023
व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961
थाना-महिला थाना, जिला सहारनपुर।

08.04.2026

आज दिनांक-08.04.2026 को अभियुक्तगण **भूरा खां पुत्र अब्दुल हमीद, नईमा पत्नी भूरा खां तथा फरीन पुत्री भूरा खां** द्वारा मु.अ.स 0-17/2025 अंतर्गत धारा- 85,115(2),352,351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 थाना महिला थाना, जिला सहारनपुर के अपराध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण आज आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। कोर्ट मोहर्रिर सूचित हो।

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रा0 पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थीगण को उपरोक्त वाद में झूठा अभियुक्त बनाया गया है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा कोई अपराध उपरोक्त धाराओं का नहीं किया गया है। प्रार्थीगण नें वाद उक्त की पीडिता के साथ कोई मारपीट, गाली गलोच व दहेज की मांग किसी प्रकार की नहीं की है। प्रार्थीगण वाद उक्त की पीडिता के ससुर, सास, ननद व देवर लगते है। प्रार्थीगण अपनी जमानत के लिए मोतवीर जामिनान पेश करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्रश्नगत मामला वैवाहिक सम्बन्धों में उत्पन्न दहेज प्रताड़ना आदि से सम्बन्धित है। दहेज प्रताड़ना आदि के मामलों में सुलह-समझौते की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगम **भूरा खां पुत्र अब्दुल हमीद, नईमा पत्नी भूरा खां तथा फरीन पुत्री भूरा खां** द्वारा मु0 **25 हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक-एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किये जाते है।

(ईशा कन्सल)
सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0,
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध),
सहारनपुर।
J.O Code-UP4621